

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 23/04/2018

क्रमांक 1005 /3490/2017/ई/चार, विभागीय आदेश क्रमांक/3104/3490/2017/ई/चार, दिनांक 30.12.2017 द्वारा (मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग) अधिकारियों द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति आदेश किये गये है। (प्रति संलग्न है) दिनांक 31.03.2018 को जारी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018 द्वारा मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों/ अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग अधिकारियों हेतु जारी सेवानिवृत्ति आदेश के सरल क्रमांक-5 से 23 तक के अधिकारियों के सेवानिवृत्ति आदेश एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(विजय कठाने)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 23/04/2018

पृष्ठांकन 1006 /3490/2017/ई/चार,

प्रतिलिपि :-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
02. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
03. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
04. सचिव, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय,
05. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
06. अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
07. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल,
08. महानिरीक्षक, लोकायुक्त, कार्यालय, भोपाल,
09. आयुक्त, कार्यालय, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर,
10. कुलपति, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर,
11. आयुक्त, नगर निगम/कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, उज्जैन/ग्वालियर,
12. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर,
13. संचालक, एन.सी.सी. संचालनालय, भोपाल,
14. संचालक, नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल,
15. डीन, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल,
16. संचालक, संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा/उद्योग/मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग, भोपाल,
17. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
18. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/ग्वालियर/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर /रीवा,
19. वरिष्ठ कोषालय/जिला कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी, भोपाल/ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर/सागर/उज्जैन/सिवनी/टीकमगढ़/दतिया,

20. संबंधित अधिकारीगण -----
21. गार्ड फाइल
की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विजय कटानि)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग